रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल, भोपाल बेन्च

श्री आलोक कुमार शुक्ल, माननीय सदस्य (तकनीकी) रे.दा.अ./भोपाल
श्री राज कुमार चौहान, माननीय सदस्य (न्यायिक) रे.दा.अ./भोपाल

दावा आवेदन क्रमांक : OA-IIu/BPL/95/2020
दावा पंजीकरण तिथि : 10-09-2020
आदेश तिथि : 12 July. 2023

Shri Abjel Khan S/o Mangu Khan
निवासी–वार्ड नं. 3, मस्जिद वाली गली,
मुसलमान मोहल्ला, भदानिया, जिला–खण्डवा (म0प्र0) ....आवेदक

विरूद्ध

भारत संघ,
द्वारा–महाप्रबंधक,
मध्य रेलवे, छशिमट, मुम्बई (महा0) ....रेस्पाडेन्ट

दावा राशि : Rs. 2,00,000/-

प्रतिनिधित्व : श्री आर. एस. दसोनिया आवेदक–अधिवक्ता,
श्री सुरेश नारायण सक्सेना, रेस्पांडेन्ट के अधिवक्ता.

:: नि र्ण य ::

<u>श्री आलोक कुमार शुक्ल, सदस्य (तकनीकी)</u>

1. 35 वर्षीय व कंप्यूटर ऑपरेटर आवेदक ने अपने स्वयं के अनपेक्षित घटना में घायल होने के फलस्वरूप रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल एक्ट, *1987* के सेक्शन–*16* के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिकर राशि प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत दावा आवेदन में कथन किया है कि वह दिनांक 21-10-2019 को काशी एक्सप्रेस के जनरल कोच में खण्डवा से छनेरा तक की यात्रा एनएसटी टिकट संख्या–SAC 996411 dtd. 20-10-2019 (valid 21-10-2019 to 20-11-2019) के आधार पर यात्रा कर रहा था तथा अत्यधिक भीड़ होने की वजह से वह गेट के पास ही खड़ा था एवं उसके हाथ में मोबाइल भी था, जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होकर कुछ आगे ही बढ़ी थी कि एक अज्ञात व्यक्ति ने लोहे के रॉड से उसके हाथ में प्रहार कर मोबाइल छीनने की कोशिश की तो आवेदक अपने मोबाइल को बचाने की प्रक्रिया में चलती ट्रेन से नीचे गिर गया और घायल हो गया एवं आवेदक को *fracture of shaft of tibia one right, fracture of Talus right, bony injury of left knee and head injury* आदि चोटें कारित हुई है. घायल आवेदक को आरपीएफ जवान द्वारा खण्डवा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, आवेदक अपनी चोटो की वजह से दिनांक 21 से

रेल दावा अधिकरण * प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि * भोपाल पीठ, भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

26-10-2019 तक भर्ती करा. इस प्रकार बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटुवर्ड इंसीडेन्ट के अधीन आई हुई उक्त क्षति की पूर्ति हेतु रेस्पाडेन्ट रेलवे से *दो लाख* रूपये प्रतिकर राशि के रूप में प्राप्त करने हेतु यह दावा आवेदन प्रस्तुत किया गया है.

2. रेस्पाडेन्ट ने वैधानिक तरीके से की गई अपनी डीआरएम जॉच रिपोर्ट में पाये गये निष्कर्ष के आधार पर जवाबदावे में सभी तथ्यों से इनकार किया है एवं कहा है कि आवेदक के घायल अवस्था में डाउन दिशा में एसएच/55 (पीवे कार्यालय) के सामने पडे होने की सूचना प्राप्त हुई थी. किन्तु उसके साथ घटित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है एवं घटना के सम्बन्ध में जीआरपी/खण्डवा में एफआयआर कमाक-0232/2019 धारा-392, 397 एवं 201 आईपीसी दिनांक 21-10-2019 के तहत दर्ज किया गया जो कि श्रीमान रेल न्यायालय, खण्डवा के समक्ष विचाराधीन है. आवेदक द्वारा पुलिस को दिये गये अपने कथन में घटना गेट पर खड़े होकर यात्रा करते समय मोबाइल के गिर जाने पर मोबाइल उठाने के प्रयास करने के दौरान नीचे गिरना बताया है इस प्रकार आवेदक के साथ घटित घटना सेक्शन 123 (सी) (2) में नहीं आना एवं आवेदक का यह कृत्य सेक्शन 124 ए के अपवादों में नहीं आने को प्रमाणित करना आवेदक का कर्तव्य होने से दावे से इनकार किया है एवं अपनी जिम्मेदारी से इनकार करते हुए दावे को व्यय सहित खारिज करने की प्रार्थना रेस्पांडेन्ट द्वारा की गई है.

3. पक्षकारों के अभिवचनों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निम्नलिखित इश्यूज की रचना की गई :-

1) *Whether the applicant proves that he was a bonafide passenger of the Train in question when the alleged untoward incident occurred ?*

2) *Whether the applicant proves that the alleged untoward incident falls within the meaning of the Sec. 123 (c) (2) read with Sec. 124 A of Railways Act, 1989 ?*

3) *Whether the applicant proves that he has suffered injuries as alleged ?*

4) *Whether the Respondent railway administration is protected under the exemption clause to Section 124-A of the Railways Act, 1989 and is not liable to pay any compensation to applicant ?*

5) *Relief & Cost ?*

4. आवेदक ने अपने शपथपत्र *(AW/1)* के साथ लिखित साक्ष्य के रूप में *A-1* से लेकर *A-10* तक के दस्तावेज पेश किये हैं. वहीं रेस्पाडेन्ट की ओर से लिखित साक्ष्य के तौर पर डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* को विस्तृत रूप से पेश किया गया है. साक्षी के तौर पर आवेदक का प्रति-परीक्षण कोर्ट के सम्मुख किया गया

निरंतर...... ..3/पर

Sd/ 12/3/23

Sd/

प्रभारी

दावा अधिकरण

5. तदनुसार पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश की गई सारगर्भित बहस को धैर्य से सुनकर और अभिवचनों, प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अवलोकन कर के, उक्त इश्यूज पर हमारा निष्कर्ष इस प्रकार है :–

:: निष्कर्ष ::

इश्यूज क्रमांक–1 एवं 2 :

6. विवरण में सुसंगता स्थापित करने हेतु इन दोनों इश्यूज पर एक साथ विचार किया जा रहा है. आवेदक ने अपने दावा आवेदन में किये गये अभिवचन को ही कोर्ट के सम्मुख उपस्थित होने पर सशपथ दोहराया है कि घटना के समय उसके पास खण्डवा से छनेरा एवं वापसी की एमएसटी थी, जिसकी प्रति ए–6 पर पेश की गई है. यात्रा के दौरान कोच में अत्याधिक भीड़ होने से गेट के पास खड़ा होना एवं घटनास्थल पर बाहर से कोई लूटेरों ने हाथ में पकड़े हुए वीवो कंपनी के मोबाइल को लूटने की नियत से हाथ पर लोहे की रॉड से हमला किया जिससे उसका मोबाइल नीचे गिर गया और उसे पकड़ने के चक्कर में वह चलती ट्रेन से नीचे गिर गया था, जिसके लिए उसने लिखित में एफआयआर भी दर्ज की है, जिसकी प्रति ए–2 पर पेश की गई है.

7. रेस्पांडेन्ट की ओर से *रेल यात्री (मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अनटूवर्ड इन्सीडेन्ट) नियम 2003* के अधीन प्रस्तुत की गई वैधानिक तरीके से की गई जॉच रिपोर्ट जिसे संक्षिप्त मे डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* कहा गया है, के आधार पर यह स्वीकार किया है कि घटना के समय आवेदक एमएसटी के आधार पर काशी एक्सप्रेस में सवार था एवं उसके साथ उसके कहे अनुसार घटना घटित हुई थी जिस पर जीआरपी/खण्डवा द्वारा एफआईआर दर्ज कर अज्ञातों के खिलाफ भादसं 1860 के सेक्शन–397, 201 एवं 392 के अधीन मामला दर्ज किया गया एवं जांच कर आरोपी गोपी यादव को गिरफ्तार कर कब्जे से आवेदक का लूटा गया विवो कंपनी का मोबाइल जब्त कर न्यायिक कार्यवाही के बाद आवेदकों को दिया गया जिसे आवेदक ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी स्वीकार किया है. इस प्रकार आवेदक के साथ घटित घटना रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन–123 (c)(I)(ii) के अधीन सम्मिलित होती है. अतः साबित होने से हमें यह निर्णीत करने में कोई विधिक अड़चन नहीं हो रही है कि आवेदक ने पूख्ता तौर पर यह साबित कर दिया है कि उसके साथ घटित घटना बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटूवर्ड इंसीडेन्ट की ही घटना थी. तदनुसार इश्यूज क्रमांक–1 एवं 2 का विनिश्चय आवेदक के पक्ष में किया जाता है.

इश्यूज क्रमांक–3, 4 एवं 5 :

8. विवरण मे सुसंगता स्थापित करने हेतु इन तीनो इश्यूज पर एक साथ विचार किया जा रहा है. दावे के साथ पेश किये गये बुनियादी दस्तावेजी साक्ष्यों, यथा पुलिस मेमो, एमएलसी रिपोर्ट एवं जिला चिकित्सालय, खण्डवा तथा खण्डवा के ही प्रकाश अस्पताल के पर्चे *(A-1 to 5)* के अनुसार घटना से आवेदक को ***fracture of shaft of tibia R, with MCL injury L Knee***

निरतर........4/पर

Sd/- 15/5/12

रेल दावा अधिकरण प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि भोपाल पीठ, भोपाल

Sd/

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

के साथ–साथ दाहिने एंकल में दर्द एवं बांयी एलबो में घाव की चोटें आदि कारित हुई थी. प्रति–परीक्षण में आवेदक ने कहा है कि घटना के कारण उसका दांया पैर टखने के पास फ्रेक्चर हुआ था तथा दोनों पैरों के घुटने, दोनों कोहनी एवं सिर में चोटें आई थीं. आवेदक के दाहिनी पैर की हड्डी (टीबिया) में आये हुए फ्रेक्चर की चोट *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016 की अनुसूची* के भाग–*III* की मद संख्या-33 में सम्मिलित होती है एवं उक्त अन्य चोटें उक्त अनुसूची के बाहर की चोटें हैं जिसके लिए आवेदक को निर्धारित प्रतिकर देने हेतु रेस्पांडेन्ट बाध्य है.

9. माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए आवेदक के दांये पैर की हड्डी (टीबिया) में आये हुए फ्रेक्चर की चोट के लिए रूपये *80,000/-* एवं अनुसूची के बाहर की उक्त वर्णित चोटों के लिए रूपये *20,000/-* इस प्रकार कुल राशि रूपये *1,00,000/-* एवं इस राशि पर घटना दिनांक *21-10-2019* से आदेश तिथि तक *06%* प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित गणित कुल राशि प्रतिकर के रूप में रेस्पांडेन्ट से प्राप्त करने का आवेदक हकदार है. तदनुसार इश्यूज का निर्धारण करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं :–

:: **आ दे श** ::

10. अतः रेस्पांडेन्ट को आदेश दिये जाते हैं कि वह कुल प्रतिकर राशि रूपये *1,00,000/- (रूपये एक लाख केवल)* का भुगतान आवेदक *Shri Abjal Khan s/o Mangu Khan* को करेगा. रेस्पांडेन्ट इस राशि पर घटना दिनांक *21-10-2019* से आदेश तिथि तक *06%* प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भी संदाय आवेदक को करेगा.

11. आवेदक को संदत्त कुल प्रतिकर राशि में से 10% राशि अर्थात् 10,000/- एवं इस राशि पर संदेय आनुपातिक ब्याज को लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किया जाएगा जिसको यह तत्काल निकाल सकेगा एवं शेष राशि अर्थात् रूपये 90,000/- एवं इस पर संदेय आनुपातिक ब्याज में से 7,500/- प्रति माह के हिसाब से एक माह से 12 माह की अवधि के लिए आरोही क्रम में फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा. प्रत्येक एफडीआर की परिपक्वता राशि सम्बन्धित लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी.

12. अतः लाभार्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे अपने निवासस्थान के नजदीक स्थित किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल्ड बैंक के नवीनतम बचतखाते की जानकारी रेस्पांडेन्ट रेलवे के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को अतिशीघ्र उपलब्ध कराएं ताकि रेस्पांडेन्ट रेलवे उक्त विवरण प्राप्ति से *60* दिवसों के भीतर लाभार्थी को आगे दिये गये निर्देशानुसार भुगतान करने के लिए बाध्य होगा. उक्त विवरण इस पीठ की रजिस्ट्री के अपर पंजीयक महोदय के पास भी प्रस्तुत किया जाएगा.

12.12.23

निरंतर..... 5/पर

रेल दावा अधिकरण
प्रमाणित
सत्य प्रतिलिपि
भोपाल पीठ, भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

13. लाभार्थी से नवीनतम बचत खाते का विवरण प्राप्ति के बाद रेस्पांडेन्ट रेलवे जल्दी–से–जल्दी दावा राशि के भुगतान का प्रबंध करेगा, किन्तु यदि रेस्पांडेन्ट रेलवे आवेदक/लाभार्थियों से प्राप्त नवीनतम बैंक खाते विवरणों की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो रेस्पांडेन्ट आवेदक/लाभार्थियों को बैंक विवरण प्राप्ति से वास्तविक भुगतान तिथि तक 09% वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा.

14. भारत सरकार ने 03 जून, 2020 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें रेलवे दुर्घटनाओं और अनपेक्षित दुर्घटनाओं (मुआवजा) संशोधन नियमों, 2020, संशोधित नियम–5 में किये गये संशोधन के अनुसार लाभार्थियों के नवीनतम बचत खातें निम्नलिखित शर्तों के अधीन खोले जाएंगे :–

1) ऐसे खातों में एटीएम/डेबिट कार्ड जारी नहीं किये जाएंगे,
2) इन खातों में चैकबुक भी जारी नहीं की जाएगी,
3) ऐसे खातों में इलेक्ट्रॉनिक सुविधा से राशि स्थानांतरित नहीं की जाएगी,
4) ऐसे खातों में मोबाइल अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी नहीं रहेगी

15. आवेदक/लाभार्थी यदि नवीनतम बचत खातों का विवरण नहीं देते हैं तो विद्यमान बैंक दावा राशि के भुगतान के वितरण से पहले आवेदक/लाभार्थी के मौजूद बचत खातों में से चैकबुक को निरस्त कर देगा एवं साथ ही एटीएम/डेबिट कार्ड को भी निरस्त कर देगा. बैंक खाते में दी गई मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को भी बंद कर देगा एवं उपर्युक्त सुविधाओं को बंद करने बाबत् बैंक आवेदक/लाभार्थी के बैंक पासबुक में उचित प्रविष्टि करके अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ सील भी लगाएगा.

16. इन खातों से धन की निकासी केवल "निकासी फार्म" के द्वारा ही की जाएगी.

17. आवेदक/लाभार्थी अपने निवास के समीप स्थित बचत खाते का विवरण, जिस पर उचित पृष्ठांकन किया गया हो, अपनी पहचान के दस्तावेज के रूप में आधारकार्ड/पेनकार्ड अथवा अन्य कोई उचित पहचान का दस्तावेज तथा अपने नवीनतम पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ्स एवं नमूने के हस्ताक्षर आदि रजिस्ट्री के पास जमा करेंगे.

18. इस पीठ की अनुमति के बिना आवेदक/लाभार्थी के उक्त बचत खातों का स्थानांतर नहीं किया जा सकेगा. लाभार्थी से प्राप्त उक्त बैंक विवरण से रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही इसे अपर पंजीयक को हस्तांतरित करेंगे. पश्चात् इसके रेस्पांडेन्ट लाभार्थियों को संदेय राशि का भुगतान इस रजिस्ट्री के *Suitors Account No. 10064520760 IFSC Code : SBIN0005798 (State Bank of India, Shivaji Nagar Branch, BHOPAL (MP)* बैंक खाते में *RTGS* के द्वारा जमा करते हुए इसकी सूचना अपर पंजीयक को भी देगा. यह पुनः आदेशित किया जाता है कि रजिस्ट्री *Suitors Account* बैंक अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक,शिवाजी नगर शाखा, भोपाल को कहेगा कि बैंक सावधि जमा खाते से पैसा निकालने की अनुमति तब तक नहीं देगा, जब तक कि उसे इस पीठ से लिखित में आदेश न दिया जाए.

19. पीठ द्वारा पारित इस आदेश की कॉपी आवेदक/लाभार्थी अपनी बैंक शाखा को प्रस्तुत करेंगे ताकि बैंक पीठ द्वारा खाते से सम्बन्धित शर्तों की पूर्तता करते हुए इसका पृष्ठांकन आवेदक/लाभार्थी की पासबुक में करेगा. उक्त पृष्ठांकन के साथ अपनी पासबुक एवं आधारकार्ड, पेनकार्ड अथवा पहचान का उचित दस्तावेज आवेदक/लाभार्थी सीधे रेस्पांडेन्ट को प्रस्तुत करेंगे.

20. दावा राशि के भुगतान के पूर्व रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं इस बात पर संतुष्ट होगा कि

निरंतर..... 6/पर

12.7.23

रेल दावा अधिकरण
प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
भोपाल पीठ, भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

आवेदक/लाभार्थी द्वारा जो बचत खातों की जानकारी दी गई है, वे उसके निवासस्थान के नजदीक स्थित है एवं उक्त खाते में चैकबुक, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग आदि की सुविधा बंद की जा चुकी है एवं पीठ के अनुमति के बिना ये सुविधाएँ शुरू नहीं की जाएगी.

21. लाभार्थी/आवेदक को संदेय दावा राशि की सुरक्षा हेतु बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तुत किया गया खाता संयुक्त न होकर एकल ही होगा. (नैसर्गिक संरक्षक के द्वारा संचालित किये जा रहे अवयस्क खातों को छोड़कर).

22. बैंक आवेदक/लाभार्थियों की फिक्सड डिपाजिट रसीदों को अपने ही पास सेफ कस्टडी में रखेगा, जिसका स्टेटमेंट (अर्थात् एफडीआर नबर, राशि, परिपक्वता की तारीख एवं परिपक्वता की राशि) वह लाभार्थी को अवश्य उपलब्ध कराएगा.

23. उक्त एफडीआर की परिपक्वता पर ब्याज सहित परिपक्वता राशि को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात् ECS के द्वारा लाभार्थी के बचत खाते में जमा किया जाएगा.

24. इस पीठ के आदेशों के बिना एफडीआर पर न तो लोन दिया जाएगा एवं न ही इस पर अग्रिम स्वीकार किया जाएगा. इस एफडीआर को परिपक्वता से पूर्व भी भुनाया नहीं जा सकेगा.

25. पीठ के दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश की प्रति स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के नोडल अधिकारी/शाखा प्रबंधक को भी भेजी जाएगी.

26. इस आदेश के 90 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट के लिए रजिस्ट्री एक तारीख तय करेगी.

27. माननीय सुप्रीमकोर्ट द्वारा प्रकरण *M.R.Krishnamurthy vs. New India Assurance Company Ltd. in CA 2476/2677 of 2019; decided on 5th March, 2019* के पैरा–40 में सभी दावा अधिकरणों को दिल्ली हाईकोर्ट के *राजेश त्यागी विरु जय वीर सिंह* प्रकरण में जमा योजना से सम्बन्धित दिशा–निर्देशों का पालन करने हेतु कहा गया है.

28. तदनुसार इस मूल दावा आवेदन का निस्तारण किया जाता है. पक्ष अपना–अपना वादव्यय वहन करेंगे. इस आदेश की प्रति पक्षों को नियमानुसार प्रदान की जाएगी.

29. प्रकरण–फाइल रेकार्ड रूम को प्रेषित की जाए.

(राज कुमार चौहान)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल

(आलोक कुमार शुक्ल)
सदस्य (तकनीकी)
रेल दावा अधिकरण, भोपालपीठ

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 12 July, 2023 को उद्घोषित होकर हस्ताक्षरित किया गया

(राज कुमार चौहान)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल

(आलोक कुमार शुक्ल)
सदस्य (तकनीकी)
रेल दावा अधिकरण, भोपालपीठ

रेल दावा अधिकरण प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि भोपाल पीठ, भोपाल

शेष.....7/पर

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल